उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 87/2023--24 दिनांक : 25.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शकील अहमद, परिवादी
पता--वार्ड नं0 06, नूरी मस्जिद, किच्छा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री शकील अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.07.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892G318188161 (01 किलोवाट घरेलू) पर लगा विद्युत मीटर खराब हो जाने के कारण विभाग द्वारा दिनांक 12.03.2022 को बदल दिया गया। मीटर बदलने के उपरांत भी विभाग द्वारा आर0डी0एफ0 के बिल जारी किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने आर0डी0एफ0 विद्युत बिल (रू0 78995.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.07.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 03.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 03.08.2023, 22.08.2023, 05.09.2023 व 25.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) व श्री दिनेश चन्द्र गुर्रानी, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–505 दिनांक 22.09.2023 के

क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर रू0 33503.00 का बना दिया गया है, जिसमें परिवादी द्वारा दिनांक 08.09.2023 को रू0 30000.00 का भुगतान भी कर दिया गया है। वर्तमान समय में परिवादी के विद्युत बिल की देयता रू0 3503.00 है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल की गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य

25/09/2023
(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य

25/09/2023
(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य